तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25.04.2023

पत्रावली बमुकाम कैम्प मवड़ी पेश हुई।
प्रार्थी स्वयं उपस्थित। विप्रार्थी तहसीलदार सिवाना उपस्थित।
तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसके, उसके भाईयों–जोगसिंह, वागसिंह पि. रामसिंह के साथ संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 197 रकबा 2.7762 हैक्टेयर ग्राम मवड़ी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर 1/3–1/3 हिस्सानुसार प्रत्येक खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनसिंह है, किंतु बोलचाली की भाषा में उसे आम्बसिंह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस वजह से रामसिंह के फौत होने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आम्बसिंह दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात–परिवार राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड व एस.बी. आई. सिवाना से जारी बैंक पासबुक में उसका वास्तविक नाम अर्जुनसिंह दर्ज है। इस प्रकार दस्तावेजात में पृविष्टियों की विभिन्नता के कारण प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण–अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम आम्बसिंह के स्थान पर अर्जुनसिंह दुरुस्त किया जावे।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिवना की रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया और मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों से प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में पूछताछ की। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनसिंह है, किंतु बोलचाल में आम्बसिंह नाम से संबोधित किये जाने से राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अशुद्ध पृविष्टि दर्ज हो गई। मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों ने पूछताछ के दौरान 'अर्जुनसिंह' एवं 'आम्बसिंह' पृथक–पृथक नहीं होकर एक ही व्यक्ति होने तथा उसका वास्तविक नाम अर्जुनसिंह होने की ताईद की। चूंकि प्रार्थी के दोनों नाम आम्बसिंह व अर्जुनसिंह–प्रचलित है अतः प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम 'आम्बसिंह' के स्थान पर 'आम्बसिंह उर्फ अर्जुनसिंह' दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मवड़ी तहसील सिवाना की ख.सं. 197 रकबा 2.7762 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की शेष पृविष्टियां यथावत रखते हुए 'अर्जुनसिंह उर्फ आम्बसिंह' दुरुस्त करने के आदेश दिये [illegible] तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 25.04.2023 को बमुकाम कैम्प मवड़ी सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)